Since March 2002
A National, Registered, Peer Reviewed & Refereed Monthly Journal
Commerce
Research Link - 174, Vol - XVII (7), September - 2018, Page No. 12-13
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

असंगठित क्षेत्र के गरीबी उन्मूलन में सूक्ष्म वित्त की भूमिका

प्रस्तुत शोधपत्र में असंगठित क्षेत्र के गरीबी उन्मूलन में सूक्ष्म वित्त की भूमिका का अध्ययन किया गया है। भारत में सूक्ष्म वित्त की व्यवस्था भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से की जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में समय पर ग्रामीण साख उपलब्ध हो जाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु व सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, छोटे जमाकर्ताओं तथा छोटे व्यापार तथा उत्पादन कार्य में संलग्न लोगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। सहकारी बैंक निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों में बैंकिंग आदत डालने तथा ग्रामीण ऋण वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।

डॉ.मीना कीर

अप्रैल 2013 में विश्व बैंक ने अपनी विकास रिपोर्ट में कहा है कि विश्व में अभी भी 120 करोड़ लोग बेहद गरीबी की हालत में हैं। विश्व के इन गरीबों में से लगभग 33 प्रतिशत गरीब भारत में ही हैं, जो प्रतिदिन गरीबी के अंतर्राष्ट्रीय मानक, यानी 1.25 डॉलर से भी कम में गुजारा करते हैं। वर्ष 1981 में यह आंकड़ा 22 प्रतिशत था। इन समंकों से प्रदर्शित होता है कि भारत में गरीबी के स्तर में वृद्धि हुई है।

सामान्यतः ''गरीबी'' का तात्पर्य अभाव की स्थिति से लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति या समाज को उसकी आवश्यकता की वस्तुएं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उपलब्ध नहीं हो पातीं, तो उसे ''गरीब'' कहा जाता है। ''गरीबी'' वह सामाजिक स्थिति है, जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित रहता है और वह न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन यापन को मजबूर होता है।

यह एक सामान्य तथ्य है कि गरीबों में अपनी गरीबी मिटाने की दृढ़ इच्छाशक्ति होती है और इसके लिए उनमें भरपूर क्षमताएँ भी विद्यमान होती हैं। अपनी गरीबी मिटाने और परिवार का जीवन यापन करने हेतु भारत की श्रम शक्ति आज दो हिस्सों में बंटी हुई प्रतीत होती है। यह दो हिस्से ''संगठित क्षेत्र'' और ''असंगठित क्षेत्र'' कहे जाते हैं।

संगठित क्षेत्र : जो क्षेत्र पंजीकृत हैं तथा सरकारी नियमों व विनियमों का पालन करते हैं, उनके कर्मचारियों व कर्मचारी संघों को संगठित क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र कानून में दिए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार कार्य करता है। संगठित क्षेत्र में कुछ औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, अतः इस क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र भी कहा जाता है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत बैंक, बीमा, रेल्वे तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारी आदि आते हैं।

असंगठित क्षेत्र : असंगठित क्षेत्र को अनौपचारिक क्षेत्र भी कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र का आशय घर निर्माण में लगे श्रमिक, छोटे पैमाने के उद्योग तथा छोटे क्षेत्र से लगाया जाता है। यह क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से लगभग बाहर होता है। इस क्षेत्र के कारोबार में कम मानव शक्ति तथा कम निवेश की आवश्यकता होती है। कृषि मजदूर, छोटे और सीमांत किसान, बुनकर, सुतार, लोहार आदि जैसे कारीगर असंगठित क्षेत्र का निर्माण करते हें।

भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित श्रम रोजगार का आधिक्य है। श्रम मंत्रालय के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2009–10 में भारत के 93 प्रतिशत कर्मचारी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत थे। भारत के असंगठित श्रम रोजगार को निम्न चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :

(1) व्यावसायिक आधार पर : छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन कृषि मजदूर, पशुपालन, मछलीपालन में लगे व्यक्ति, बीड़ी निर्माण, घर निर्माण में लगे कारीगर, ईंट भट्टी व पत्थर की खदानों में कार्यरत श्रमिक, बुनकर, लोहार, सुतार, नमक श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, तेल मिल में कार्यरत श्रमिक आदि इस श्रेणी में आते हैं।

(2) रोजगार की प्रकृति के आधार पर : कृषि मजदूर, प्रवासी श्रमिक, बंधुआ मजदूर, अनुबंधित और आकस्मिक मजदूर इस श्रेणी में आते हैं।

(3) विशेष व्यथित श्रेणी के आधार पर : ताड़ी बनाने वाले, मल साफ करने वाले, शव वाहक, पशु संचालित वाहन वाहक और बोझा उठाने वाले इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

(4) सेवा शर्तों के आधार पर : घरेलू श्रमिक, नाई, सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, दाई, समाचार पत्र विक्रेता आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

भारत में अनौपचारिक रूप में सरकारी आंकड़ों एवं राष्ट्रीय

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग), शासकीय नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद (मध्यप्रदेश)

लेखा सांख्यिकी में ''संगठित'' एवं ''असंगठित क्षेत्र'' शब्द का उपयोग होता है। संगठित क्षेत्र वे हैं जिनके आंकड़े, लेखा अनुमानों तथा लेखा प्रतिवेदनों में होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसे उद्योग आते हैं जिनके आंकड़े वैद्यानिक नहीं होते तथा उनके द्वारा नियमित हिसाब किताब रखना वैद्यानिक नहीं होता।

भारत में असंगठित क्षेत्र में कई व्यावसायिक उद्यम विद्यमान हैं, जो लाखों लोगों को रोजी–रोटी उपलब्ध करा रहे हैं। ये उद्यमी इकाइयां 500 रूपये से भी कम पूंजी से व्यापार आरम्भ करती हैं तथा इनका जीवन चक्र एक सप्ताह में कुछ घंटों का ही होता है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इसी प्रकार की उद्यमी इकाइयों में संलग्न है। इन असंगठित उद्यमी इकाइयों में कार्यशील वर्ग का व्यापार की दुनिया में यह पहला कदम होता है जहॉ वे व्यापार की कला सीखते हैं तथा सांसारिक विषयों का अनुभव प्राप्त करते हैं। चूॅकि यह उद्यमी इकाइयां परिवार के सदस्यों की सहायता से भी संचालित होती हैं, अतः इन उद्यमियों में अधिकांश बच्चे एवं महिलाएँ शामिल होती हैं। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं का योगदान भी कम नहीं है तथा कुछ उद्योगों जैसे सब्जी बेचना, फल बेचना आदि के खुदरा व्यवसाय में उन्होंने अच्छी स्थिति प्राप्त कर ली है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित श्रम रोजगार का आधिक्य है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के द्वारा वर्ष 2009–10 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुल रोजगार 46.5 करोड़ था, जिसमें संगठित क्षेत्र में 2.8 करोड़ तथा असंगठित क्षेत्र में शेष 43.7 करोड़ श्रमिक कार्यरत थे। असंगठित क्षेत्र के इन श्रमिकों में से कृषि क्षेत्र में 24.6 करोड़ श्रमिक, निर्माण कार्य में लगभग 4.4 करोड़ श्रमिक तथा शेष श्रमिक विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में कार्यरत थे। भारत में असंगठित क्षेत्र का योगदान कृषि क्षेत्र में शासकीय विकास कार्यक्रम का लगभग 32 प्रतिशत है। रोजगार उन्मूलक कार्य में इस क्षेत्र का योगदान गैर–कृषि रोजगार में 73. 7 प्रतिशत तथा कुल रोजगार निर्माण में 34.4 प्रतिशत है। असंगठित क्षेत्र का गैर–कृषि क्षेत्र में योगदान शासकीय विकास कार्यक्रम का लगभग 48.1 प्रतिशत है।

असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को भी प्रभावी माना गया है। सन् 1993 में भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार उन्मूलक कार्य में महिलाओं का योगदान 22.7 प्रतिशत था तथा गैर–कृषि क्षेत्र में शासकीय विकास कार्यक्रम का 10.3 प्रतिशत था। भारत में इस प्रतिशत के कम होने का कारण संभवतः महिलाओं के योगदान को कमतर आंकना है, क्योंकि यदि व्यापार पुरूष के नाम से है, तो भी महिला का योगदान अपने समय एवं निपुणता की दृष्टि से अधिक होता है।

एक अध्ययन के अनुसार कृषि के अतिरिक्त गृहकार्य एवं जानवरों की देखभाल जैसी गतिविधियों में महिलाओं के योगदान का प्रतिशत 84 है। भारत में संकुचित एवं विस्तारित परिभाषाओं में ग्रामीण महिलाओं का योगदान क्रमशः 13 तथा 88 है। विस्तृत व्याख्या में फसल कटने के बाद के कार्य, पशुपालन, निर्माण कार्य, जलाऊ लकड़ी संग्रहण, पानी भरना, कपड़े बनाना, कसीदाकारी तथा अन्य घरेलू कार्य जो मजदूरी आधारित हैं, शामिल हैं।

सूक्ष्म वित्त की भूमिका :

भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार भारत में 70000 बैंक शाखाएं होने के बावजूद देश के 94 प्रतिशत गांवों में एक भी बैंक शाखा नहीं है। इन गांवों का निर्धन वर्ग आज भी ऋण के लिये स्थानीय साहूकारों पर ही निर्भर है। इस वर्ग को बचत, ऋण तथा बीमा से सम्बंधित विभिन्न वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो सकें, इस हेतु सूक्ष्म वित्त की आवश्यकता का अनुभव किया गया। शहरी निर्धन वर्ग की पहुंच भी औपचारिक संस्थाओं तक संभव नहीं है क्योंकि इनके पास बैंकएवं अन्य औपचारिक संस्थाओं से ऋण लेने हेतु आवश्यक जमानत आस्तियां नहीं हैं। सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में ऐसे प्रयासों को शामिल किया जाता है जिससे निर्धन वर्ग को बिना किसी जमानत के अधिकाधिक वित्तीय सुविधाएं प्राप्त हो सकें और वर्तमान में जो वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हैं उनकी गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके। सूक्ष्म वित्त की सुविधा स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन एवं बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से संभव हो सकती है। असंगठित क्षेत्र के गरीबी उन्मूलन में सूक्ष्म वित्त के माध्यम से उस खाली स्थान को भरने का कार्य संभव हो सकेगा, जहाँ औपचारिक आर्थिक संस्थाएं गरीबों तक वित्तीय सेवाएँ नहीं पहुँचा सकीं तथा अनौपचारिक आर्थिक संस्थाओं जैसे – महाजन, दलाल, ठेकेदार आदि ने गरीबों का शोषण किया।

भारत में सूक्ष्म वित्त की व्यवस्था भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से की जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में समय पर ग्रामीण साख उपलब्ध हो जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु व सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, छोटे जमाकर्ताओं तथा छोटे व्यापार तथा उत्पादन कार्य में संलग्न लोगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। सहकारी बैंक निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों में बैंकिंग आदत डालने तथा ग्रामीण ऋण वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।

संदर्भ :

(1) मिश्र एस.के. एवं पुरी वी.के. (2010) : भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, 2010.

***(2)** दत्त, गौरव एवं महाजन, अश्विन (2011) : भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि. नईदिल्ली।*

***(3)** वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)।*

❁❁

Since March 2002
A National, Registered, Peer Reviewed & Refereed Monthly Journal
Commerce
Research Link - 174, Vol - XVII (7), September - 2018, Page No. 14-15
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

भारत के आर्थिक विकास में स्टॉक मार्केट की भूमिका

प्रस्तुत शोधपत्र में भारत के आर्थिक विकास में स्टॉक मार्केट की भूमिका का अध्ययन किया गया है। वर्तमान में मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज विश्व में सबसे अधिक आय प्रदान करने वाला स्टॉक मार्केट है। एनएसई राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत योगदान करता है। भारत में तेल कम्पनियाँ सबसे अधिक शेयर बाजार में हिस्सा बनकर बैठी है। प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत से अधिक आय प्रदान करने वाली शेयर बाजार कम्पनी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना विशेष स्थान रखती है, लेकिन वर्तमान में शेयर बाजार में भारत के शेयर बाजार की स्थिति दयनीय है, क्योंकि इंग्लैण्ड तथा अमेरिका क 25 प्रतिशत जनसंख्या, विभिन्न कम्पनियों में निवेश करती है, लेकिन भारत की जनसंख्या का मात्र 9 प्रतिशत ही कम्पनियों की प्रतिभूति में पैसा लगाती है। अधिक से अधिक आय प्रदान करने में शेयर बाजार की स्थिति उतनी ठीक नहीं थी।

डॉ.पूजा तिवारी

परिचय :

भारत में स्कन्ध विनिमयों का उद्‌गम 19 वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बम्बई में हुआ है। 1875 में दलालों ने मिलकर स्थापना की 1886 में नेटिव शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन की स्थापना की गयी। वर्तमान में इसे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते है। इस विनिमय की स्थापना के पूर्व भारत में प्रतिभूति की खरीद व बिक्री व्यवस्थित ढंग से नहीं थी। 1880 के बाद अहमदाबाद में मिलों की स्थापना तीव्र गति से होने लगी। 1894 में दलालों ने एक संघ 'दी अहमदाबाद शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन' के नाम से बम्बई स्टॉक एक्सचेंज' के नाम से बम्बई एक्सचेंज के बिल्कुल अनुरूप ऐच्छिक बिना लाभ आधार पर सीमित किया, भारत का यह दूसरा स्कन्ध विनिमय था।

15 जून 1908 को कलकत्ता में 'दी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन' के नाम से तीसरा स्कन्ध विनिमय स्थापित किया गया। वर्तमान में यह कलकत्ता स्टॉक एक्सचेज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार प्राचीन में केवल बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता स्टॉक मार्केट थे, इनके पश्चात् गुजरात शेयर एण्ड स्टॉक 1920 को अस्तित्व में आया है। 1920 में मद्रास स्टॉक मार्केट प्रारंभ हुआ तथा 1923 में व्यापार में कमी के कारण इनको बंद करना पड़ा। 1934 में 'लाहौर स्टॉक एक्सचेज' लाहौर में स्थापित किया गया। 1936 में पंजाब स्टॉक एक्सचेज लिमिटेड के साथ मिल गया। 4 सितम्बर 1937 मे यह प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना गया।

अहमदाबाद में पहले से ही दो स्कन्ध विनिमय कार्य कर रहे थे। चार और नए विनिमय स्थापित किए गए। दोनों बहुत जल्दी ही समाप्त हो गए, लेकिन दो इण्डियन शेयर एण्ड जनरल एक्सचेंज एसोसिएशन बम्बई शेयर ब्रोकर्स एसोसिएशन जो 1942 में स्थापित हुए थे, 1957–58 तक कार्य करते रहे। फिर धीरे–धीरे लाहौर नागपुर, हैदराबाद में स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किए गए।

वर्तमान में अन्तिम दो स्कंद विनिमय NSE व TCEI राष्ट्रीय स्तर पर इनका क्रय–विक्रय करते हैं, जबकि शेष 20 क्षेत्रीय स्तर पर परंतु अभी हाल मे दिल्ली स्कन्ध विनिमय को भी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने की अनुमति मिल गयी है। अतः वर्तमान में तीन स्कन्ध विनिमय राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अभी हाल में 14 स्कन्ध विनिमय द्वारा स्थापित किए जाने वाले एक नए विनिमय SEBI की स्थापना की स्वीकृति दे दी है।

सेबी के सदस्य बनने के लिए ISEIC के पास एक करोड़ रूपया जमा करना पड़ता है। प्रारंभ 60 लाख तथा 40 लाख बाद के दो वर्षों में जमा करना होता है।

स्टॉक मार्केट का वर्गीकरण :

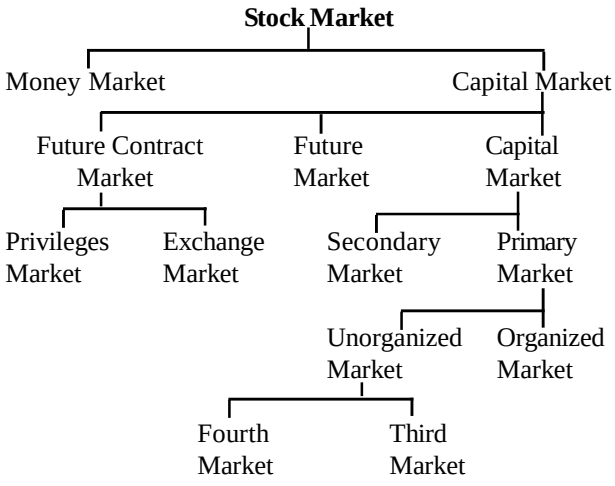

एस.पी.सी. कॉलेज, नवापारा, राजिम, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

स्कन्ध मार्केट के कार्य एवं पद्धति :

(1) प्रतिभूति के लिए बाजार (2) स्वामित्व का हस्तान्तरण (3) तरलता प्रदान करना (4) सहभागिता रोटेशन (5) व्यक्तिगत जोखिम का विस्तार (6) पूँजी का कुशल आबंटन (7) प्रतिभूति का मूल्यांकन (8) निवेश की सुरक्षा (9) बचतों को निवेश का रूप (10) ओद्यौगिक प्रजातंत्र।

स्कन्ध विनिमयों के पूर्ण अध्ययन के लिए हमने मुम्बई स्कन्ध विनिमय का चयन किया है।

मुम्बई स्कन्ध विनिमय :

भारत में मुम्बई स्कन्ध विनिमय सबसे पुराना विनिमय है। यद्यपि इसकी स्थापना 13 दिसम्बर 1887 को नेटिव शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से एंच्छिक बिना लाभ आधार पर हुई थी, लेकिन पूर्व 1840 व 1850 मे बीच करीब आधे दर्जन दलाल बम्बई में जहाँ अब होर्नोमन सर्किल या एलॅन्सिटन है। वहाँ एक पेड़ के नीचे सौदे किया करते थे। 1 जुलाई 1857 से दलालों ने एक प्रारम्भिक संघ की स्थापना की।

1857 में 318 सदस्य थे। प्रवेश शुल्क प्रारम्भ में 1 रूपया था, लेकिन धीरे–धीरे इसमें वृद्धि हुई। 1920 में 478 सदस्य थे तथा प्रवेश शुल्क 48000 रू था। वर्तमान में इसके 803 सदस्य हैं।

प्रशासन : मुम्बई स्कन्ध विनिमय का प्रबंध एक समिति के द्वारा होता है। जिसको प्रशासक मण्डल कहते हैं। इस मण्डल का निर्वाचन प्रतिवर्ष मार्च के महीने में सदस्यों द्वारा साधारण सभा में किया जाता है। इस मण्डल के सदस्यों की संख्या 18 है। 16 सदस्य तो साधारण सभा चुनती है तथा 2 सदस्यों को केन्द्रीय सरकार चुनती है।

इस मण्डल के कार्य विनिमय के कार्यों की देखभाल करना व 24 घण्टे के लिए विनिमय के कारोबार क्रय करने का अधिकार है, लेकिन नियमों में परिवर्तन या 24 घण्टे से अधिक से अधिक विनिमय को बंद करने के आदेश सरकार की स्वीकृति के बाद ही लागू होंगे। इनकी तीन उपसमिति है :

(1) पंचायत समिति, (2) चूकदार समिति व (3) सूचीयन समिति।

सदस्यता : प्रतिभूति अनुबंध नियम 1957 के सदस्यता सम्बंधी नियमों को बम्बई स्कन्ध विनिमय ने मान लिये हैं। 2005 में 504 सदस्य हैं, लेकिन 480 सदस्य क्रियाशील हैं। यहाँ कुल सदस्य की संख्या का लगभग 61 प्रतिशत कम्पनी सदस्य हैं। नए व्यक्तियों की सदस्यता के लिए पुराने सदस्यों से कार्ड खरीदता है, जिसका मूल्य माँग पूर्ति के कारण समय–समय पर घटता बढ़ता रहता है। आज इसका मूल्य 1 करोड़ रूपये है।

दलाल : मुम्बई विनिमय पर कार्य करने वाले सदस्यो को अनौपचारिक रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, (1) दलाल (2) तरावनी वाला दलाल। वे सदस्य हैं, जो क्रेता–विक्रेताओं को मिलाते हैं, सौदे करवाते हैं तथा इस कार्य के लिए उनको पारिश्रमिक दलाली के रूप में मिलता है। इसका उद्देश्य मूल्यों के परिवर्तनों से लाभ उठाना है। लंदन विनिमय पर प्रत्येक सदस्य को प्रतिवर्ष आरम्भ में बता देना पड़ता है कि वह किस रूप में कार्य करेगा– दलाल के रूप में या जॉबर के रूप में कार्य करेगा। विनिमय द्वारा इनके कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया सबसे पुराना एक्सचेंज होने के इसकी पहुँच 417 शहरों में तक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। अन्तर्राष्ट्रीय वितीय बाजार में श्रेष्ठ स्थान दिलाने में बी.एस.ई. की अहम भूमिका है।

एशिया के सबसे प्राचीन तथा देश के प्रथम स्कन्ध मार्केट, बाम्बे स्टॉक एक्सचेज सिक्युरीटि कांट्रेक्ट रेग्युलेशन एक्ट 1956 के तहत स्थाई मान्यता मिली है।

इसका लक्ष्य है, ''वैश्विक कीर्ति की पताका फहराकर प्रमुख भारतीय स्टॉक एक्सचेज के रूप में उभरना।''

मुम्बई स्टॉक मार्केट की स्थिति :

वर्तमान में मुम्बई स्टॉक मार्केट विश्व में सबसे अधिक आय प्रदान करने वाला स्टॉक मार्केट है। NSE राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत योगदान करता है। भारत में तेल कम्पनी सबसे अधिक शेयर बाजार में हिस्सा बना कर बैठी है, जिस प्रकार पर्यावरण सुरक्षा एवं पेड प्रदान करता है। उसी प्रकार शेयर बाजार का भी योगदान आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक रहा है। प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत से अधिक आय प्रदान करने वाली शेयर बाजार कम्पनी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना विशेष स्थान प्रदान करती है, लेकिन वर्तमान में शेयर बाजार में भारत के शेयर बाजार की स्थिति दयनीय है, क्योंकि इंग्लैण्ड तथा अमेरिका की 25 प्रतिशत जनसंख्या, विभिन्न कम्पनियों में निवेश करती है। हमारी जनसंख्या का मात्र 9 प्रतिशत ही कम्पनियों की प्रतिभूति में पैसा लगाता है। तत्पश्चात् अधिक से अधिक आय प्रदान करने में शेयर बाजार की स्थिति उतनी ठीक नही थी।

निष्कर्ष :

वास्तव में देखा जाये तो स्कन्ध विनिमयों में स्वंय में कोई दोष नहीं है। इनके कार्य करने के अपने नियम होते हैं, जो सामान्यतया सरकार से स्वीकृत होते हैं। यदि कोई सदस्य नियमानुसार कार्य नहीं करता है, तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही जाती है। उन पर जुर्माना किया जाता है। कुछ समय के लिए उसको कार्य करने से रोक दिया जाता है। यदि फिर भी सदस्य नहीं मानता है, तो उसको निकाल दिया जाता है। स्कन्ध विनिमय देश की प्रगति के सूचक एवं मार्गदर्शक होते हैं।

(1) लेकिन सट्टे की प्रकृति ने इनमें बदलाव कर दिया है। (2) इससे मूल्यों में उतार–चढ़ाव होता है, जो विनियोजक एवं समाज दोनों के लिए उचित नहीं है। यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सट्टा स्वयं में बुरा नहीं है, बशर्ते कि सूझ–बूझ से किया जाए। अपर्याप्त ज्ञान एवं अदूरदर्शिता के साथ किया गया सट्टा बुराई को जन्म देता है। व्यवहार में भी यही पाया जाता है कि विनिमयों पर अदूरदर्शिता से कार्य किया जाता है। इसलिए खुद विनिमयों को जुएं का केन्द्र भी कहा जा सकता है।

सदर्भ :

(1) कुमार, डॉ. उपेन्द्र कुमार व अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल : स्टॉक एक्सचेंज, एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन, आगरा।

(2) अग्रवाल, डॉ. वी.पी. अग्रवाल : बी.एस.ई. व एन.एस.ई., साहित्य भवन, आगरा।

❁❁